बिल का सारांश

तमिलनाडु दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) बिल, 2023

- तमिलनाडु दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) बिल, 2023 को तमिलनाडु विधानसभा में 13 अप्रैल, 2023 को पेश किया गया। बिल तमिलनाडु दुकान और प्रतिष्ठान एक्ट, 1947 में संशोधन करता है। एक्ट काम की शर्तों को रेगुलेट करता है, जैसे कि काम के घंटे, छुट्टियां, और दुकानों, रेस्त्रां, थिएटर एवं अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा। इस बिल में मॉडल दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का रेगुलेशन) बिल, 2016 के कुछ प्रावधान शामिल हैं, जिसे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मंजूरी दी थी।

- **कर्मचारियों के लिए सुविधाएं**: एक्ट प्रतिष्ठानों से निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा करता है: (i) काम करने के घंटों के दौरान पर्याप्त रोशनी, और (ii) सभी कर्मचारियों के बैठने के लिए उपयुक्त व्यवस्था। एक्ट राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह कुछ प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों की श्रेणियों को किसी भी या सभी प्रावधानों से छूट दे सकती है। बिल में नियोक्ताओं से अतिरिक्त सुविधाओं को सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है। ये अतिरिक्त सुविधाएं निम्नलिखित हैं: (i) पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति, (ii) काम के घंटों के दौरान पर्याप्त संख्या में लैट्रीन्स और यूरेनल्स की उपलब्धता, (iii) रेस्ट रूम और लंच रूम, जहां पीने का पानी मिलता हो, उचित वेंटिलेशन हो, और बैक रेस्ट वाली कुर्सियां/बेंच हों, और (iv) फर्स्ट एड की निर्दिष्ट सुविधाएं।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

प्रतिनव दमानी
pratinav@prsindia.org

2 मई, 2023